वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु C.O.B.T. के प्रावधान के संबंध में दिनांक–15.12.2012 को मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र एवं दिनांक–17.12.2012 को मुख्य अभियंता, हजारीबाग प्रक्षेत्र की योजनाओं के लिये विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकरियों की उपस्थिति परिशिष्ट–I में संलग्न है।

A. मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र

(1) प्रक्षेत्राधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रू0 171.64 करोड़ का वार्षिक कार्यक्रम है।

वर्ष 2012–13 में प्रक्षेत्राधीन योजनाओं के लिये उपलब्ध कराये गये गये रू0 29.07 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध नवम्बर 2012 तक कुल रू0 13.49 करोड़ का व्यय हुआ है।

निदेश –

(i) वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यों कार्यान्वयन में गति लाई जाय।

(ii) उपलब्ध आवंटन का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(iii) वर्ष 2012–13 के लिये शेष आवश्यक राशि की अधियाचना दो दिनों के अन्दर विभाग को भेजी जाय।

(कार्यवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

(2) अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु C.O.B.T पर विमर्श हुआ।

निदेश –

(i) प्रत्येक चालू योजना में कौन–कौन से कार्य शेष है और उसे पूरा करने हेतु कितनी राशि का व्यय वर्ष 2013–14 में किया जायेगा इसका आकलन कर योजनावार विवरणी 17.12.2012 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) सर्वेक्षण कार्य, पुनर्स्थापन कार्य, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं ERM कार्य हेतु व्यय किये जाने वाले राशि का योजनावार विवरणी देने का निदेश दिया जाय।

(iii) प्रस्तावित नई योजनाओं के कार्यान्वयन का stage क्या है, इसकी समीक्षा कर एवं संभावित व्यय का आकलन कर उसकी विवरणी उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

B. मुख्य अभियंता, हजारीबाग प्रक्षेत्र

(1) मुख्य अभियंता, हजारीबाग प्रक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित योजनाओं के लिये वर्ष 2012–13 में रू0 12.94 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जबकि नवम्बर 2012 तक 4.76 करोड़ का व्यय हुआ है। पुनरीक्षित वार्षिक कार्यक्रम रू0 30 करोड़ का है।

निदेश –

(i) वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन में गति लाई जाय।

(ii) उपलब्ध आवंटन का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(iii) वर्ष 2012–13 के लिये शेष आवश्यक राशि की अधियाचना दो दिनों के अन्दर विभाग को भेजी जाय।

(कार्रवाई : मुख्य **अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग)**

(2) अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु C.O.B.T पर विमर्श हुआ।

निदेश –

(i) प्रत्येक चालू योजना में कौन–कौन से कार्य शेष है और उसे पूरा करने हेतु कितनी राशि का व्यय वर्ष 2013–14 में किया जायेगा इसका आकलन कर योजनावार विवरणी निर्धारित प्रपत्र में आज ही उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) सर्वेक्षण कार्य पुनर्स्थापन कार्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं ERM कार्य हेतु व्यय किये जाने वाले राशि का योजनावार विवरणी देने का निदेश दिया जाय।

(iii) प्रस्तावित नई योजनाओं के कार्यान्वयन का stage क्या है, इसकी समीक्षा कर एवं संभावित व्यय का आकलन कर उसकी विवरणी उपलब्ध करायी जाय।

(कार्रवाई : मुख्य **अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग)**

(3) चालू योजनाओं में मुख्य अभियंता, हजारीबाग द्वारा कोनार सिंचाई परियोजनावार हेतु रू0 30.00 करोड़ का प्रावधान C.O.B.T. में रखने का अनुरोध किया गया।

(4) (क) पुनर्स्थापन एवं ERM मद में निम्नांकित कार्यों हेतु रू0 20.00 करोड़ का प्रावधान रखने का अनुरोध मुख्य अभियंता द्वारा किया गया।

(i) घाघरा जलाशय योजना (रू0 4.9 करोड़, कार्य चालू है)
(ii) गोवई बराज योजना (रू0 16 करोड़, प्र0स्वी0 प्रक्रियाधीन)
(iii) लोटिया जलाशय योजना (रू0 0.6 करोड़)
(iv) हिरू जलाशय योजना (रू0 0.31 करोड़)
(v) अंजनवा जलाशय योजना (रू0 0.51 करोड़)
(vi) बक्शा जलाशय योजना (रू0 0.90 करोड़)
(vii) ढुलकी जलाशय योजना (रू0 0.41 करोड़)
(viii) गोलाई वीयर योजना (रू0 0.72 करोड़)
(ix) खुदिया जलाशय योजना
(x) लपसिया वीयर योजना
(xi) डुमरी जलाशय योजना

(xii) बरही वीयर योजना

(xiii) राज्य अन्तर्गत निर्मित सभी योजनाओं से संबंधित यॉत्रिक कार्य – 5 करोड़

निदेश

(i) हजारीबाग प्रक्षेत्र की उक्त योजनाओं के लिये अगले वर्ष के C.O.B.T. में रू0 10.00 करोड़ का प्रावधान रखा जाय।

(ii) उक्त सभी पुनर्स्थापन कार्यों को 2013–14 में पूरा कराया जाय।

(iii) सभी पुनर्स्थापन कार्यों के लिये योजनावार एक अच्छा प्रतिवेदन तैयार किया जाय जिसमें योजना संबंधी मूल सूचनाएँ विगत वर्षों में कराये गये कार्य एवं व्यय की सूचना के साथ प्रस्तावित कार्यों तथा उसके फलस्वरूप पुनर्स्थापित की जाने वाली सिंचाई की सूचना शामिल रहे। Index Map एवं योजना के Important Photographs भी संलग्न की जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग)

(4) (ख) तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट – प्रमण्डलान्तर्गत मुख्यतः तेनुघाट जलाशय योजना के अन्तर्गत मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य आवश्यक है।

(ख) साथ ही तेनुघाट जलाशय योजना का FRL 852 फीट के लेबल से 882 फीट के लेबल तक ले जाने के लिये फ्रिन्ज एरिया का भू–अर्जन कार्य कराना है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत होने की प्रक्रिया में है।

(ग) तेनुघाट जलाशय योजना के आउटलेट गेट इमरजेन्सी सर्विस गेट के मरम्मति कार्य के लिये E.o.I प्राप्त हो गया है, जिसके लिये राशि की आवश्यकता होगी।

निदेश –

(i) उक्त सभी कार्यों हेतु वर्ष 2013–14 के लिये रू0 20.00 करोड़ का C.O.B.T. में प्रावधान रखा जा सकता है।

(5) बाढ़ प्रक्षेत्र – दो नई योजनाओ को शामिल किया जा रहा है जिसके लिये 4.00 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

(6) भवन निर्माण एवं मरम्मति – मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग का नया आवास एवं कार्यालय भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा प्रक्षेत्र में अन्य उपनिवेशों के मरम्मति की आवश्यकता है। भवन मद में रू0 2.00 करोड़ का प्रावधान 2013–14 के C.O.B.T. में रखा जाय।

(7) मुख्य अभियंता, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 में चार **नई योजनाओं** का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

(i) सिवाने जलाशय योजना

(ii) दोनाईकला जलाशय योजना

(iii) सलैया जलाशय योजना

(iv) तिलैया जलाशय योजना

निदेश – प्रक्षेत्राधीन उक्त चार नई योजनाओं के लिये 4.00 करोड़ रूपये का प्रावधान वर्ष 2013–14 के लिये रखा जाय।

(vi) **पंचखेरो जलाशय योजना** –

- योजना का कार्य प्रगति में है परन्तु कार्य की प्रगति निर्धारित लक्ष्य से पीछे है।
- मुख्य अभियंता द्वारा लगातार मोनिटरिंग किया जा रहा है।
- योजना के डूब क्षेत्र एवं मुख्य नहरों में गैर मजरूआ जमीन से संबंधित कुछ मामले है जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ग्रामिणों द्वारा गैर मजरूआ भूमि के बन्दोबस्ती का दावा किया जा रहा है एवं भू–मुआवजा की मांग की जा रही है।
- वितरणियों का भू–अर्जन प्रक्रियाधीन है। दो गाँवों का ग्रामीण नक्शा गुलजारबाग, पटना से मंगाया जाना है।

निदेश

(i) विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी पूरे योजना का भू–अर्जन प्रतिवेदन तैयार करेंगे जिसमें कहाँ–कहाँ कितना गैर मजरूआ जमीन है और उसमें ग्रामिणों का कितना दावा है, यह विवरणी तैयार की जाय। इस संबंध में विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी कितना भू–अर्जन शेष है, उसकी क्या स्थिति है तथा कब तक भू–मुआवजा भुगतान पूरा हो जायेगा इसका पाक्षिक कार्यक्रम तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई : **विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग**)

(ii) मुख्य अभियंता, हजारीबाग योजना के भू–अर्जन का समेकित प्रतिवेदन देंगे कि गैर मजरूआ जमीन के मामले का निष्पादन अभी तक क्यों नहीं हुआ तथा योजना में कहाँ–कहाँ कितना भू–अर्जन बाकि है। (रकबा सहित)

(कार्रवाई : **मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग**)

(iii) मुख्य अभियंता, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की जाय और प्रधान सचिव के स्तर से विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी हजारीबाग को निदेश दिया जाय कि सभी वितरणियों एवं शेष भू–अर्जन का भुगतान जनवरी 2013 तक हो जाय क्योंकि योजना को हर प्रकार से जून 2013 तक पूर्ण करना है जिसकी जिम्मेवारी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी की भी बनती है।

(iv) योजना के लिये इस वित्तीय वर्ष में कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है इसकी अधियाचना मुख्य अभियंता, हजारीबाग विभाग को भेज दें जिसके आलोक में अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि की व्यवस्था की जा सके।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग)

वर्ष 2012—13 में विभिन्न योजनाओं में कितनी और राशि की आवश्यकता है, की अधियाचना मुख्य अभियंता, 10 दिनों के अन्दर विभाग को भेज दें

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग)

ह0/-
(बी0सी0 निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 2/PMC/hbg-baithak-93/2012- रॉंची, दिनांक :

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉंची/हजारीबाग/मुख्य अभियंता यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि॰)जल संसाधन विभाग, रॉंची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बॉंध अंचल, तेनुघाट/अधीक्षण अभियंता, योजना एंव मोनिटरिंग अंचल—1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग रॉंची/विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

ह0/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो0)

ज्ञापांक :— 2/PMC/baithak-93/2010- रॉंची, दिनांक :—

प्रतिलिपि :माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, रॉंची के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो0)

ज्ञापांक :— 2/PMC/baithak-93/2010- 03 रॉंची, दिनांक :— 05 JAN 201

प्रतिलिपि :वेब मैनेजर, वेबसाइट जल संसाधन विभाग, रॉंची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

4.1.201
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो0)

दिनांक– 17.12.2012 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, हजारीबाग प्रक्षेत्र की योजनाओं के लिए वर्ष 2013–14 का C.O.B.T. तैयार करने के संबंध में आहूत समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाईल नं0
1.	श्री बी0 सी0 निगम	विशेष सचिव		
2.	ई0 वीरा राम	अभियंता प्रमुख		17/12/12
3.	श्री एन0 के0 राय	परामर्शी I		
4.	ई0 अशोक कुमार	मुख्य अभियंता (मो0)	17.XII.2012	
5.	ई0 अरविन्द कुमार	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग	17/12/12	
6.	ई0 अभय कुमार पंजियार	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2	17/12/12	
7.	ई0 डेविड कुजूर	अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग	17/12/12	8987616600

(102

दिनांक— 15.12.2012 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र की योजनाओं के लिए वर्ष 2013—14 का C.O.B.T. तैयार करने के संबंध में आहूत समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाईल नं0
1.	श्री बी0 सी0 निगम	विशेष सचिव	[signature] 15/12	
2.	ई0 वीरा राम	अभियंता प्रमुख	[signature] 15/12/12	8986724155
3.	श्री एन0 के0 राय	परामर्शी–I	[signature]	9973724096
4.	ई0 अशोक कुमार	मुख्य अभियंता (मो0)	[signature]	9431112006
5.	ई0 आर0एस0 तिग्गा	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	[signature]	9470596899
6.	ई0 अभय कुमार पंजियार	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2	[signature] 15/12/12	9431352852
7.	ई0 एम0एम0 राय	अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची	[signature] 15/12/12	9470590755
8.	ई0 मिथिलेश कुमार	अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा	[signature] 15/12/12	9431305701
9.	शिव लाल राम	अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका		
10.	डॉ0 डी0के0सिंह	अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग रूपांकण एवं आयोजन अंचल, राँची		
11.	सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया	कार्यपालक अभियंता, यो0 एवं मो0 प्रमंडल–5, राँची	[signature]	
12	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची		